राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

NCTE

राअशिप/उक्षेस/फ-3/ यूपी- /2000/ 5950-51

दिनांक : 8.8.2000

श्री एन0 रविशंकर
सचिव
बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ ।

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइटों) की सीटें बढाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1162/1/15/1/2000/1499(17)/99 दिनांक 17 जुलाई, 2000 एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, एससीईआरटी, लखनऊ के पत्र दिनांक 8.8.2000 जिसमें की उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइटों) में 50 सीटों के स्थान पर 100 सीटें करने का अनुरोध किया गया था तथा साथ ही सत्र प्रारंभ होने से पहले उपरोक्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइटों) में परिषद् मानदंडों के अनुसार अध्यापक नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया को ध्यान में रखते हुए उत्तर क्षेत्रीय समिति की 28 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइटों) को सत्र 2000-2001 से 100 सीटों की मान्यता प्रदान कर दी जाए। समिति के निर्णयानुसार आपसे यह भी अनुरोध है कि आप सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइटों) में 100 सीटों में प्रवेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइटों) में परिषद् मानदंडों के अनुसार अध्यापक नियुक्त हो गए हैं । यदि परिषद् मानदंडों के अनुसार अध्यापक नियुक्त नहीं होते हैं तो संस्था में उपलब्ध अध्यापकों को ध्यान में रखते हुए ही सीटों का अवांटन किया जाए। सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइटों) की विधिवत मान्यता आदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं उक्त निर्णय आपकी सूचना एवं अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जा रहा है ।

धन्यवाद ।

भवदीय

(डॉ0 एस.एन. मेठी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निदेशक, एससीईआरटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

क्षेत्रीय निदेशक

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर - 302 004
क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Harayana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116